

ध्वन प्रदूषण पर UNEP की रिपोर्ट

प्रलिस के लयि:

वर्षिकी फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022, भारत में ध्वन प्रदूषण और अनुमानित शोर का स्तर ।

मेन्स के लयि:

भारत में ध्वन प्रदूषण और संबंघति कानून तथा मुददे ।

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में जारी [संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रिपोर्ट](#) जिसका शीर्षक [वर्षिकी फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022](#) है, उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद ज़िले के एक शहर के उल्लेख के कारण वविदास्पद हो गई है ।

- फ्रंटियर्स रिपोर्ट तीन पर्यावरणीय मुददों की पहचान करती है और समाधान प्रस्तुत करती है जिसमें शामिल हैं: शहरी ध्वन प्रदूषण, जंगल की आग तथा फेनोलॉजिकल परिवर्तन (Phenological Shifts) जो कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव वविधिता के क्षरण को लेकर इन तीनों पर्यावरणीय मुददों द्वारा ग्रह के संकट को संबोधित करने हेतु सरकारों व जनता का ध्यान आकर्षित करने तथा कार्रवाई की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं ।

प्रमुख बदि

वविद:

- यह रिपोर्ट दुनिया भर के कई शहरों में शोर के स्तर के बारे में अध्ययनों को संकलित करती है और 61 शहरों के एक सबसेट और डीबी (डेसीबल) के स्तरों की सीमा को दर्शाती है ।
- दल्लि, जयपुर, कोलकाता, आसनसोल और मुरादाबाद इस सूची में उल्लिखित पाँच भारतीय शहर हैं ।
- रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद को 29 से 114 तक के dB रेंज के रूप में दर्शाया गया था ।
 - 114 के अधिकतम स्तर पर यह सूची में दूसरा सबसे अधिक शोर वाला शहर था ।
 - जबकि सड़क यातायात, उद्योग और उच्च जनसंख्या घनत्व उच्च डेसीबल स्तरों से जुड़े जाने-माने प्रमुख कारक हैं, मुरादाबाद को सूची में शामिल करना तर्कसंगत इसलिये नहीं माना गया क्योंकि अतीत में कयि गए इसी तरह के अध्ययनों में कभी भी इसे असामान्य रूप से शोर वाले शहर की सूची में शामिल करने का सुझाव नहीं दिया गया था ।
- प्रथम स्थान पर ढाका, बांग्लादेश शामिल था जिसमें डीबी का स्तर 119 से अधिक था ।

शोर के स्तर के मापन का महत्त्व:

- **डब्ल्यूएचओ दशा-नरिदेशों को पूरा करना:**
 - वर्ष 2018 के [वशिव स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#) के नवीनतम दशा-नरिदेशों में 53 डीबी के सड़क यातायात के शोर के स्तर हेतु एक स्वास्थ्य-सुरक्षात्मक सफिरशि प्रस्तुत की थी ।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव:**
 - फ्रंटियर्स रिपोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर शोर के प्रतिकूल प्रभावों सहित कई साक्ष्य संकलित कयि जिसमें हल्के और अस्थायी संकट से लेकर गंभीर व पुरानी शारीरिक क्षतितक शामिल है ।
 - **बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएँ तथा शफिट में कार्य करने वाले कर्मचारियों** को शोर-शराबे के कारण नॉइज़ डिसिर्बेंस का खतरा होता है ।
 - **शोर-प्रेरित जागरण** कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकता है क्यौंकिनीद **हारमोनल वनियिमन और हृदय संबंधी कामकाज** के लयि आवश्यक होती है ।

- ट्रैफिक शोर हृदय और चयापचय संबंधी विकारों जैसे कडिच रक्तचाप, धमनी उच्च रक्तचाप, कोरोनरी हृदय रोग और मधुमेह के विकास हेतु एक जोखिम कारक है।
- लंबे समय तक पर्यावरण में शोर के संपर्क में रहने से प्रतर्विष **इसकेमिक हृदय रोग (Ischemic Heart Disease)** के 48,000 नए मामले सामने आते हैं जो यूरोप में प्रतर्विष 12,000 लोगों की अकाल मृत्यु का कारण बनता है।

ध्वनिप्रदूषण के संदर्भ में भारत का रुख:

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** को अपनी राज्य इकाइयों के माध्यम से ध्वनिके स्तर को ट्रैक करने, मानकों को निर्धारित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि अत्यधिक ध्वनिके स्रोतों को नियंत्रित किया जाए।
- **एजेंसी के पास एक मैनुअल मॉनीटरिंग सिस्टम** है जिसके अंतर्गत प्रमुख शहरों में सेंसर लगाए जाते हैं तथा कुछ शहरों में वास्तविक समय में शोर के स्तर को ट्रैक करने की सुविधा होती है।

भारत में ध्वनिप्रदूषण से संबंधित कानून:

- **ध्वनिप्रदूषण (वर्णनियम और नियंत्रण) नियम, 2000** के तहत ध्वनिप्रदूषण को अलग से नियंत्रित किया जाता है।
 - इससे पहले ध्वनिप्रदूषण और इसके स्रोतों को **वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत नियंत्रित किया जाता था।
- इसके अतिरिक्त **पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986** के तहत मोटर वाहनों, एयर-कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, डीज़ल जनरेटर और कुछ अन्य प्रकार के निर्माण उपकरणों के लिये ध्वनिमानक निर्धारित किये गए हैं।
- **वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत उद्योगों से होने वाले शोर को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये **राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (SPCBs/ PCCs)** द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से भिन्न है? (2018)

1. एनजीटी को एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया है।
2. एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में भी मदद करता है, जबकि सीपीसीबी नदियों एवं कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा इसका उद्देश्य देश में हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT):**
 - इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र नपिटान हेतु की गई थी, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना और राहत देना शामिल है।
 - एनजीटी का उद्देश्य त्वरित पर्यावरणीय न्याय प्रदान करना और उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाज़ी के बोझ को कम करने में मदद करना है।
- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB):**
 - यह जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सितंबर 1974 में गठित एक वैधानिक संगठन है।

दृष्टि
The Vision

- सीपीसीबी के प्रमुख कार्यों, जो कजिल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित हैं, के तहत वभिन्न क्षेत्रों में नदियों एवं कृओं की सफाई को बढ़ावा देना, जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन, राज्य तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने या कम करने संबंधी उपाय करना शामिल है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/unep-report-on-noise-pollution>

